भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 282/उ.प्र./अ.जा.–अ.ज.जा./2013 दिनांक : 5 दिसम्बर 2013

14 अग्रहायण 1935 (शक)

नोटिस

संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तृतीय) अध्यादेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के राजपत्र, असाधारण और उत्तर प्रदेश राज्य के राजपत्र, दोनों, दिनांक 5 दिसम्बर 2013 में उत्तर प्रदेश राज्य में, लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश राज्य में संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए सीटों के पुनर्समायोजन हेतु अपने प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए हैं। आयोग इसके संबंध में आपत्तियां और सुझाव अमांत्रित करता है।

2. राजपत्र की प्रतियां उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के पास संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं। जिन दस्तावेजों के आधार पर आयोग ने इन मसौदा प्रस्तावों को तैयार किया है, उनका विवरण आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in पर उपलब्ध है।

3. प्रस्तावों पर कोई भी आपत्तियां एवं सुझाव श्री सुमित मुखर्जी, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 को दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 (सोमवार) को 1700 बजे से पहले या उससे पहले पहुंच जाने चाहिएं। आयोग द्वारा इन पर राज्य में जन सभा में इन पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विचार किया जाएगा :–

जन–सभाओं की दिनांक एवं समय	जन–सभाओं के लिए स्थान एवं स्थल	इन जिलों से संबंधित आपत्तियों/सुझावों पर विचार
26.12.2013 (बृहस्पतिवार) 10.30 बजे से 1.00 बजे तक	मंडल आयुक्त का सम्मेलन कक्ष, वाराणसी	देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली
28.12.2013 (शनिवार) 12.30 बजे से 3.00 बजे तक	मंडल आयुक्त का सम्मेलन कक्ष, झांसी	ललितपुर, कानपुर देहात और झांसी
30.12.2013 (सोमवार) 11.30 बजे से 2.00 बजे तक	कलेक्ट्रेट का सम्मेलन कक्ष, सहारनपुर	सहारनपुर

आदेश से,

(सुमित मुखर्जी)
सचिव